फ़र्ज़ी क़ब्रें

अब्दे मुस्तफ़ा

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

किताब या रिसाले का नाम

फ़र्ज़ी क़ब्रें

मुसन्निफ़/मुअल्लिफ़ :	मुहम्मद साबिर इस्माईली
ज़ुबान :	हिन्दी
मौज़ू :	रद्दे बिद्अ़ात
तर्जुमा :	AMO Translation Department
डिज़ाइनिंग :	प्योर सुन्नी ग्राफिक्स
सना इशाअ़त :	अक्टूबर 2022
नाशिर :	साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन
सफ़हात :	37

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

© All Rights Reserved.
SABIYA VIRTUAL PUBLICATION
POWERED BY AMO

अल्लाह के
नाम से शुरू
जो निहायत मेहरबान,
रहमत वाला है।

ये किताब 20 से ज़ाइद हवालों पर मुश्तमिल है जिस में फ़र्ज़ी कब्रों को बनाने की मज़म्मत बयान की गई है और इसके मुतल्लिक़ दुसरे कई अह़काम नक़ल किये गए हैं।

फ़र्ज़ी क़ब्रें

पेशकश : अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

नाशिर
साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन

फ़ेहरिस्त

किसी भी उन्वान पर क्लिक करें और मुतल्लिक़ा सफ़्हे पर जाएं।

हवाला नम्बर 1 4
हवाला नम्बर 2 5
फ़ायदा : 5
हवाला नम्बर 3 6
हवाला नम्बर 4 8
मस्नूई करबला 8
हवाला नम्बर 5 10
हवाला नम्बर 6 12
मनघढ़त करबला 12
हवाला नम्बर 7 12
बैअ़ते रिदवान का दरख़्त 12
हवाला नम्बर 8 15
हवाला नम्बर 9 16
हवाला नम्बर 10 17
हवाला नम्बर 11 18
हवाला नम्बर 12 20
हवाला नंबर 13 21
हवाला नम्बर 14 22
हवाला नम्बर 15 23
हवाला नम्बर 16 23

फ़र्ज़ी मज़ार पर फ़ातिहा : 23
हवाला नम्बर 17 24
फ़र्ज़ी मज़ार बनाना कैसा है? 24
हवाला नम्बर 18 26
हवाला नम्बर 19 27
हवाला नम्बर 20 30

मुल्के हिंदुस्तान में फ़र्ज़ी क़ब्रें एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हर शहर बल्कि तक़रीबन हर मुहल्ले में कोई ना कोई ऐसी क़ब्र मिल ही जाती है जिस का असलिय्यत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसी क़ब्रों के साथ बिल्कुल अस्ल वाले मुआ़मलात किये जाते हैं जो कि नाजाइज़ हैं। हम ने इस रिसाले में इसी मसअले की तहक़ीक़ बयान की है। कई हवालों और दलाइल से ये साबित किया है कि ऐसी फ़र्ज़ी क़ब्रें बनाना और फिर जो मुआ़मलात उन के साथ किये जाते हैं वो सब ग़लत हैं। मुसलमानों को चाहिये कि वो इस हक़ीक़त को जानें और तस्लीम कर के ऐसे कामों से लाज़मी तौर पर खुद को बचाएं।

हवाला नम्बर 1

इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहमतुल्लाहि त'आ़ला अ़लैह की बारगाह में सवाल पेश किया गया कि क्या फ़रमाते हैं उलमा -ए- दीन इन मसाइल (साथ में एक और सवाल था जिस को हम ने यहाँ नक़्ल नहीं किया क्योंकि उस का ताल्लुक़ इस मसअले से नहीं था जो अभी हमारा मौज़ू -ए-सुखन है) में :

(1) किसी वली अल्लाह का मज़ार शरीफ़ फ़र्ज़ी बनाना और उस पर चादर वग़ैरह चढ़ाना और उस पर फ़ातिहा पढ़ना और अस्ल मज़ार का सा अदब व लिहाज़ करना जाइज़ है या नहीं? और अगर कोई मुर्शिद अपने मुरीदों के वास्ते ..... मज़ार के ख्वाब में इजाज़त दे तो तो क़ौल मक़बूल होगा या नहीं?

आला हज़रत रहमतुल्लाहि त'आ़ला अ़लैह जवाब में लिखते हैं कि :

(1) फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उस के साथ अस्ल सा मुआ़मला करना नाजाइज़ व बिदअ़त है और ख्वाब की बात ख़िलाफ़े शरअ़ उमूर में मस्मू'अ़ नहीं हो सकती।

(देखें फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 9, पेज 426, रज़ा फॉउंडेशन लाहौर, सना अप्रैल 1996 ईस्वी)

हवाला नम्बर 2

ख़लीफ़ा -ए- हुज़ूर मुफ़्ती -ए- आज़मे हिन्द, शारेह बुख़ारी अ़ल्लामा शरीफ़ुल हक़ अमजदी रहमतुल्लाह त'आ़ला अ़लैह से एक पीर के बारे में कई सवालात किये गए जिन में से एक ये था कि "ज़ैद के पीर साहब का हक़ीक़ी मज़ार कलकत्ता में है उस मज़ार की चादर को अपनी ख़ानक़ाह में ला कर दफ़न कर के उस को मज़ार नुमा बना दिया है। जब ज़ैद के पीर के उर्स की तारीख़ आती है तो उसी तारीख़ में चादर वाले मज़ार पर फ़ातिहा व चादर पोशी और क़व्वाली वग़ैरह भी करते हैं, ऐसा करना कैसा है? जब कि चादर दफ़न कर के मज़ार बनाया हुआ है।

आप रहमतुल्लाह त'आ़ला अ़लैह जवाब में लिखते हैं कि :

जहाँ कोई मुर्दा दफ़न ना हो वहाँ क़ब्र बनाना हराम व गुनाह है। ये धोका देना है हत्ता कि शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ साहब मुहद्दिसे द्हेल्वी रहमतुल्लाह त'आ़ला अ़लैह ने अपने फ़तावा में एक हदीस नक़्ल की कि जो ऐसी क़ब्र की ज़ियारत के लिये गया जिस में कोई दफ़न ना हो उस पर लानत है, ये पीर पक्का फरेब कार धोके बाज़ है। वल्लाहु त'आ़ला आलम

(फ़तावा शारहे बुख़ारी, जिल्द 2, पेज 303, दाइरतुल बरकात घोसी, सना 1433 हिजरी)

फ़ायदा :

मालूम हुआ कि किसी जगह से कोई तबर्रुक ला कर मज़ार बना देना, ये सहीह नहीं है। आज कल कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग करबला (इराक़) से मिट्टी लाकर एक मस्नूई करबला बना देते हैं और इस के साथ ऐसे मुआ़मलात किये जाते हैं जैसे इमाम हुसैन की अस्ल क़ब्र हो, ये शरअ़न बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।

हवाला नम्बर 3

बहरुल उलूम हज़रते अ़ल्लामा अ़ब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाह त'आ़ला अ़लैहि से सवाल किया गया कि :

हमारे गाँव में तालाब के किनारे एक मज़ार है जहाँ लोग नज़र पेश करते हैं और मुर्गा वग़ैरह ज़ब्ह करते हैं। गाँव के बूढ़े लोगों का बयान है कि 50 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। एक औरत के ऊपर साहिबे मज़ार का साया हुआ, वो औरत खुद से तिलावत करने लगी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उस हालत में लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं फ़ुलाँ तालाब पर रहता हूँ मेरा मज़ार वहीं है, लोगों ने कहा कि आप चल कर बताएँ ताकि हम लोग मज़ार की तामीर कर सकें, वो औरत उसी हालत में यानी जब कि साहिबे मज़ार उस पर आये और जगह बताई। इस तरह मुतअ़द्दिद लोगों से वाक़िये का सबूत मिलता है। कभी किसी ने रात में सफेद मलबूस को नमाज़ पढ़ते देखा। इस पर लोगों ने मज़ार तामीर कर दिया, जब से आज तक लोग उर्स फ़ातिहा ख़्वानी वग़ैरह करते हैं। अब दरयाफ़्त तलब अम्र ये है कि :

(1) वो मज़कूरा मज़ार शरअ़न अस्ली मज़ार है या मस्नूई मज़ार है?

(2) अस्ली या मस्नूई मज़ार का मियार क्या है?

(3) क़व्वाली करना कैसा है और क़व्वाली करने वाले पर क्या हुक्म है? क़व्वाली करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर क़व्वाली नाजाइज़ होती तो अजमेर मुक़द्दस और किछौछा शरीफ़, बहराइच शरीफ़ में क्यों कर होती? ऐसे मज़ार तामीर करने वाले पर क्या हुक्म है?

आप रहमतुल्लाह त'आ़ला अ़लैह जवाब में लिखते हैं :

अल जवाब : फ़तावा रज़विय्या, जिल्द चहारूम, पेज 815 पर है कि फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उस के साथ अस्ल का मुआ़मला करना नाजाइज़ व बिदअ़त

है और ख़्वाब की बात ख़िलाफ़े शर'अ उमूर में मस्मूअ़ नहीं। और किसी आदमी पर किसी का जो साया होता है, उस की बात बे ऐतबार है। इसी फ़तावा रज़विय्या में है कि क़ब्र बिला मक़बूर की ज़ियारत की तरफ़ बुलाना गुनाह है, जब ऐसी गवाही मौजूद है कि 50 साल पहले वहाँ कुछ नहीं था और वहाँ कोई दफ़न भी नहीं किया गया बल्कि उसी औरत के बयान पर क़ब्र बनाई गई तो वो क़ब्र फ़र्ज़ी ज़रूर है वो कोई बुज़ुर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि बुज़ुर्गों का काम खुदा के बंदों को सताना और उन पर सवार होना नहीं है। आज कल जो क़व्वाली बाजे गाजे के साथ होती है, हराम है। हदीस शरीफ़ में है :

"کل لھو المسلم حرام"

(मफ़हूम ये है कि हर खेल मुस्लिम का हराम है)

अब ये बात कि फ़ुलाँ जगह क्यों होती है, इस के जवाबदेह वो लोग हैं जो ये ख़िलाफ़े शरअ़ उमूर करते हैं, उन का फेल शरीअ़त में दलील नहीं। वल्लाहु त'आला आलम

(देखें फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द दौम, किताबुल जनाइज़, पेज 30)

इस से कई बातें मालूम हुईं :

(1) फ़र्ज़ी क़ब्रों की तामीर जाइज़ नहीं है।

(2) ऐसी क़ब्रों की तरफ़ बुलाना और फिर अस्ल जैसे मुआमलात करना भी नाजाइज़ व हराम है।

(3) बुज़ुर्गों का साया किसी औरत या किसी और आदमी पर नहीं आता। जिस शख़्स पर किसी का साया हो उस की बातों का ऐतबार नहीं किया जाएगा, वो कुछ भी कह सकता है।

(4) क़व्वाली जो आज कल बाजे गाजे के साथ राइज है वो जाइज़ नहीं है।

(5) किसी के मज़ार पर किसी काम का होना, उस के जाइज़ होने की दलील

नहीं है। ख़िलाफ़े शरअ़ काम का इरतिकाब करने वाले कोई भी हों, उन का अमल उस के जाइज़ होने की दलील नहीं है।

हवाला नम्बर 4

मस्नूई करबला

फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत में सवाल दर्ज है कि :

नवीं और दसवीं मुहर्रम के दिनों में मुसलमानों को क्या करना चाहिये? इन तारीखों में जो ताज़िया दारी करते चौक पर उस के सामने कुछ रख कर नियाज़ दिलाते हैं। जलसों को शक्ल में ताज़िया का गाँव गली कूचों में ढो कर घुमाते हैं, मातम करते बज़ाब्ता ढोल तरह तरह के बाजे बजवाते खेल तमाशा करते, मस्नूई करबला तक आते जाते हैं। और जलसों में मर्दों के साथ औरतें जाती हैं, मरसिये गाती हैं। उन में जवान लड़कियाँ भी रहती हैं। महरम व ग़ैर महरम का कोई इम्तियाज़ नहीं रहता। औरतें ताज़िया पर मोरछल मारती मन्नत करती हैं। किसी मर्द या औरत पर बाबा की सवारी आती है। वो कुछ से कुछ बोलती है। इन सब चीजों की हक़ीक़त क्या है? और ऐसा करने वालों का हुक्म क्या है?

जवाब में मुफ़्ती साहब लिखते हैं कि नवीं और दसवीं मुहर्रम को मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व ख़ैरात करें। रोज़ा रखें कि साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है और एक साल के गुनाह मुआ़फ़ हो जाते हैं। फिर रोज़ों वग़ैरह तमाम नेकियों का सवाब हज़रते इमाम हुसैन शहीदे करबला व दीगर शुहदा - ए- किराम रदिअल्लाहु त'आला अन्हुम की नज़्र करें। गर्मियों में उनके नाम पर शर्बत पिलाएँ। जाड़े में चाय पिलाएँ। खिचड़ा, पुलाव फ़रनी वग़ैरह जो हो सके पका कर बिरादरी में बनाएँ। मुहताजों और अपने घर वालों को खिलायें कि

अच्छी निय्यत से ये सब सवाब के काम हैं। ऐसा ही फ़तावा रज़विय्या, जिल्द नहुम, निस्फ आखिर पेज 36 पर है। इन तारीखों में ताज़िया दारी करना, चौक पर ताज़िया के सामने कुछ रख कर नियाज़ फ़ातिहा दिलाना, ताज़िया को गाँव व गली कूचों में घुमाना, मातम करना, ढोल ताशे तरह तरह के बाजे बजाना बजवाना, खेल तमाशा करना, मस्नूई करबला को जाना, जुलूस में मर्दो औरत का बाहम खलत मलत होना, औरतों का मरसिये गाना, उन का ताज़िया पर मोरछल मारना, मन्नत माँगना और किसी मर्द या औरत पर बाबा की सवारी का आना ये सब बातें खुराफ़ात व बिदअ़त और सख़्त नाजाइज़ व हराम हैं। शरीअ़त में इन की कोई अस्ल व हक़ीक़त नहीं। और ऐसा करने वाले सख़्त गुनाहगार मुस्तहिके अज़ाबे नार हैं। पेशवा -ए- अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिसे बरेलवी रदिअल्लाहु त'आ़ला अन्हु तहरीर फ़रमाते हैं : अ़लम, ताज़िया, तख़्त, मेहँदी इन की मन्नत गश्त चढ़ावा, ढोल ताशे, मजीरे, मरसिये, मातम मस्नूई करबला को जाना, औरतों का ताज़िया को निकलना ये सब बातें हराम व नाजाइज़ व मना हैं, फ़ातिहा जाइज़ है। रोटी, शीरनी, शर्बत चाहे जिस चीज़ पर हो मगर ताज़िया पर रख कर या उस के सामने होना जिहालत है। हाँ ताज़िया से जुदा हो ख़ालिस सच्ची निय्यत से हज़राते शुहदा -ए- किराम रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम की नियाज़ हो ज़रूर तबर्रुक है।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द नहुम, निस्फ आख़िर, पेज 44)

अल जवाब सहीह : जलालुद्दीन अहमद अमजदी

कतबहू : इश्तियाक़ अहमद रज़वी मिस्बाही

(देखें फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, बाबुल अक़ाइद, जिल्द 1, पेज 58-59)

इस से कई बातें साबित हुईं जिन में से एक ये भी है कि मस्नूई करबला बनाना या उस की ज़ियारत के लिये जाना जाइज़ नहीं है।

हवाला नम्बर 5

फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत में एक दूसरे मक़ाम पर ये सवाल है कि :

क्या फ़रमाते हैं मुफ़्तियाने दीनो मिल्लत इस मसअला में कि एक दरख़्त के नीचे एक शख़्स यासीन नामी बैठा हुआ था उस के ऊपर दरख़्त की एक शाख गिरी और वो मर गया। इस वाक़िये को तक़रीबन 50 साल हुए। इत्तिफ़ाक़ से यासीन के घर वाले कुछ बीमारी वग़ैरह से परेशान हुए तो वो लोग एक ऐसे शख्स के पास गए जो अपने को बाबा मशहूर कर रखा है और कहता है कि हम को शहीदों, वलियों और बड़े पीर वग़ैरह की सवारी आती है। हालाँकि वो ना पंज वक़्ता नमाज़ पढ़ता है ना जुम्आ पढ़ता है। उस ने यासीन के घर वालों से कहा कि यासीन ने हम को बिशारत दी है कि मैं शहीद हूँ हमारा मज़ार बनवा दो, भंडारा कर दो, गागर जुलूस और चादर वग़ैरह चढ़ाओ, तो उस के घर वालों ने दरख़्त के नीचे मरने की जगह पर फ़र्ज़ी मज़ार बनाया, गागर जुलूस का प्रोग्राम किया गया, क़व्वाली हुई और लोगों को खाना भी खिलाया गया। इस सिलसिले में जो मुर्गा ज़िब्ह किया गया वो एक आदमी ने بسم اللہ اللہ اکبر के बजाए यासीन बाबा कह कर ज़िब्ह किया तो इन बातों के मुतअ़ल्लिक़ शरीअत का हुक्म क्या है? بینوا توجروا

जवाब में मुफ़्ती साहिब तहरीर फ़रमाते हैं कि सूरते मसऊला में बने हुए मक्कार व फ़रेब कार बाबा का ये कहना बिल्कुल ग़लत है कि हम को शहीदों, वलियों और बड़े पीर वग़ैरह की सवारी आती है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अलबत्ता शैतान उस की ज़ुर्रियत पर मुकम्मल तौर से ज़रूर मुसल्लत हैं वरना वो ऐसी बकवास हरगिज़ ना करता। शहीद, वली और बड़े पीर तो अल्लाह तआ़ला के महबूब बंदे हैं उन को एक बे नमाज़ी फ़ासिक़ व फाजिर और मक्कार

बने हुए बाबा से क्या तअ़ल्लुक़? और उस का ये कहना भी सरासर झूट है कि यासीन ने हमें बिशारत दी है, मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसे झूटे बाबा से दूर रहें और उस को अपने क़रीब ना आने दें जैसा कि हदीस शरीफ़ में है :

ایاکم وایاھم

(मुस्लिम शरीफ़, जिल्द अव्वल, पेज 10)

इस के कहने पर जो फ़र्ज़ी मज़ार बनाया गया है उसे खोद कर फेंक दें वरना उसे सहीह मज़ार समझ कर लोग ज़ियारत करेंगे और मुस्तहिके लानत होंगे कि हदीस शरीफ़ में है :

لعن اللہ من زار بلا مزار

यानी उस शख़्स पर अल्लाह की लानत है जो बग़ैर (क़ब्र वाले) मज़ार की ज़ियारत करे।

और जिस ने अल्लाह के नाम की जगह यासीन बाबा का नाम ले कर मुर्गा ज़िब्ह किया और मुसलमानों को हराम व मुरदार गोश्त खिलाया उसे कलिमा पढ़ कर ऐलानिया तौबा व इस्तिग़फ़ार कराया जाए और बीवी वाला हो तो दोबारा उस का निकाह पढ़ाया जाए और उस से अहद लिया जाए कि आइंदा फिर कभी بسم اللہ اللہ اکبر की बजाए दूसरा नाम ले कर कोई भी जानवर ज़िब्ह नहीं करेगा। और जिन लोगों ने जान बूझ कर उस मुरदार मुर्गे का गोश्त खाया नीज़ यासीन के घर वाले और वो तमाम लोग जो चादर गागर कर के जुलूस वग़ैरह में शरीक रहे सब को तौबा कराया जाए और उन से अहद लिया जाए कि आइंदा फिर इस तरह का कोई प्रोग्राम हरगिज़ नहीं करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिसे बरेलवी रदिअ़ल्लाहु तअ़ाला अ़न्हु तहरीर फ़रमाते हैं कि : क़ब्र बिला मक़बूर की ज़ियारत की तरफ़ बुलाना और उस के लिये वो अफ़्आ़ल कराना गुनाह है इस जलसा -ए- ज़ियारते क़ब्र बे मक़बूर में शिरकत

जाइज़ नहीं, इस मुआमले से जो खुश हैं ख़ुसूसन वो जो मम्दूह व मुआविन हैं सब गुनाहगार व फ़ासिक़ हैं।

قال اللہ تعالی ولا تعاونوا علی الاثم العدوان:

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द चहारूम, पेज 115)

अल जवाब सहीह : जलालुद्दीन अहमद अमजदी

कतबहू : सलामत हुसैन नूरी

(फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, जिल्द 1, पेज 293, बाब तआमुल मय्यित व ईसाले सवाब)

हवाला नम्बर 6

मनघढ़त करबला

मुहक़्क़िक़के अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अजमल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि ताज़िया का गश्त करना या मनघढ़त करबला की तरफ दफ़न के लिये ले जाना सब जाहिलाना रस्म है।

(देखें फ़तावा अजमलिया, जिल्द 4, पेज 42, किताबुल खत्र वल इबाहत)

इस से मालूम हुआ कि ये जो गली गली में लोगों ने करबला बना रखा है, ये मनघढ़त करबला है क्योंकि इस में किसी की क़ब्र नहीं होती, ये सब फ़र्ज़ी हैं और इन के साथ अस्ल जैसे मुआमलात जाइज़ नहीं।

हवाला नम्बर 7

बैअते रिदवान का दरख़्त

अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि जो फ़र्ज़ी क़ब्रें हैं, उन की तमीर करना, मज़ार बनाना और मुतबर्रक क़रार देना जाइज़ नहीं है लेकिन जो मज़ाराते औलिया हैं और दूसरे तबर्रुकात हैं उन की ताज़ीम लाज़िम है लेकिन एक फ़िरके

जिसे "वहाबी" के नाम से जाना जाता है वो इस मुआमले में हद से बढ़ जाते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जुमला तबर्रुकात की ताज़ीम नाजाइज़ है! और इसे साबित करने के लिये वो कई दलाइल पेश करते हैं जिन में से एक बैअ़ते रिदवान के दरख़्त का वाक़िया है। वो कहते हैं कि हज़रते उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उस दरख़्त को काट डाला था जिस के नीचे हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने सहाबा से बैअ़त ली थी। इस का जवाब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ :

मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा अ़ल्लामा मुफ़्ती फ़ैज़ अहमद ओवैसी रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह लिखते हैं कि हज़रत उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने जिस दरख़्त को कटवाया था वो मस्नूई था (अ़स्ल दरख़्त ना था जिस के नीचे बैअ़त हुई थी) चुनाँचे तफ्सीरे खाज़िन में बुख़ारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ की मुत्तफ़िक़ अ़लैह हदीस मरक़ूम है नीज़ मुआ़लमुल तंज़ील में भी ये हदीस मौजूद है। तारिक़ बिन अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं हज के लिये चला तो रास्ते में चंद लोगों को नमाज़ पढ़ते देखा, मैंने दरयाफ़्त किया ये कैसी मस्जिद है? उन लोगों ने जवाब दिया कि ये वो दरख़्त है जहाँ रसूले करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने बैअ़त रिदवान फ़रमाई थी, ये सुन कर मैं सईद बिन मुसय्यब के पास आया और मैंने उन्हें इस वाक़िये की खबर दी, उन्होंने कहा कि मेरे वालिदे गिरामी भी बैअ़ते रिदवान में शरीक थे उन्होंने मुझसे फ़रमाया:

الله لم لموها لمتموها انتم اعلم

यानि बैअ़ते रिदवान के दूसरे साल जब हम लोग यहाँ आए तो हम दरख़्त को भूल गए और वो दरख़्त हम से छुप गया और हम उस पर क़ादिर न हुए, ये फ़रमा कर हज़रते सईद कहते हैं कि अस्हाबे रसूल से कोई इस दरख़्त को ना जाने और तुम ने जान लिया, तुम उन से भी ज़्यादा जानने वाले हो! ये फ़रमा

कर हँसने लगे। इस हदीस को नक़्ल करने के बाद साहिबे तफ़सीरे खाज़िन लिखते हैं :

सईद बिन मुसय्यब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन वालिद ने फ़रमाया वो दरख्त जिस के नीचे बैअ़ते रिदवान हुई थी मैंने देखा था फिर एक साल के बाद जब मैं आया तो मैंने उस को ना पहचाना। इस के इलावा खाज़िन वा तफ़सीरे मुआ़लिम में ये रिवायत भी है :

दरख़्ते बैअ़ते रिदवान के ग़ायब हो जाने के बाद हज़रते उमर का उस जगह से गुज़र हुआ तो आपने अपने हम राहियों से कहा वो दरख़्त कहाँ है? किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, जब उन का इख़्तिलाफ़ बढ़ा तो हज़रते उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया वो दरख़्त तो जाता रहा, इस के बाद तफ़्सीरे खाज़िन में बुख़ारी शरीफ की ये हदीसे मुबारका भी मरक़ूम है कि :

हज़रते अ़ब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हम आइंदा साल बैअ़ते रिदवान के मक़ाम पर वापस आए तो हम से दो आदमियों का भी इत्तिफ़ाक़ उस दरख़्त पर ना हो सका जिस के नीचे हमने बैअ़त की थी और वो दरख़्त क्या था अल्लाह तआ़ला की रहमत थी।

पस इन अहादीस की रौशनी में ये हक़ीक़त बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि शजर बैअ़ते रिदवान बैअ़त के दूसरे साल ही लापता हो गया। खुद हज़रते उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमा रहे हैं "चलो वो दरख़्त तो ग़ायब हो गया" ऐसी सूरत में ये बात क्यों कर सही हो सकती है कि हज़रते उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने शजर बैअ़ते रिदवान को कटवा दिया था। और अगर हज़रते उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का किसी दरख़्त को कटवाना साबित भी हो तो इस का मतलब सिर्फ ये हो सकता है क्योंकि बाज़ लोगों ने दूसरे दरख़्त को शजर बैअ़ते रिदवान समझ लिया था, इस लिये आप ने लोगों को ग़लत फ़हमी

से बचने के लिये उस दरख़्त को कटवा दिया जैसा कि तारिक़ बिन अ़ब्दुर्रहमान की रिवायत से ज़ाहिर होता है। और यही हम कहते हैं कि जो जाली तबर्रुक हो क़ाबिले ताज़ीम नहीं बल्कि वाजिबत्तौहीन होता है कि अ़वाम ग़लत फ़हमी का शिकार ना हो।

(देखें : फ़तावा ओवैसिया, पेज 340)

क्या से ये बातें मालूम हुई हैं:

(1) जो अ़स्ली मज़ारात हैं उन की ताज़ीम लाज़िमी है।

(2) वहाबी फ़िरक़ा इस मसअले में हद से बढ़े हुए हैं, अहले सुन्नत एतिदाल पसंद हैं।

(3) हज़रते उमर रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने बैअ़ते रिदवान के दरख़्त को कटवाया हो, ऐसा साबित नहीं है।

(4) जो मज़ारात या तबर्रुकात जाली हैं वो क़ाबिले ताज़ीम नहीं बल्कि वाजिबुत्तौहीन हैं।

हवाला नम्बर 8

एक सवाल के जवाब में अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह अशरफ़ी रहमतुल्लाह तआ़ला लिखते हैं कि :

सहीह ताज़िया ये है कि सैय्यिदुश्शुहदा सैय्यिदुना इमाम हुसैन रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के मज़ार मुबारक का अ़स्ल नक़्शा बना कर घर में ताज़ीम व तकरीम के साथ बतौरे तबर्रुक रखे और उस की ज़ियारत भी करे। ऐसी ताज़िया दारी शरअ़न सहीह व जाइ़ज़ है और हर साल खपची और पन्नी और रंगीन काग़ज़ों की ताज़िया बना कर रखना जिसे दसवीं तारीख को फ़र्ज़ी करबला में दफन कर दिया जाता है या घर ही में रख कर आइंदा मुहर्रम में उसे ज़ाए कर के

दूसरी पन्नी और काग़ज़ वग़ैरह से सजाया जाता है जिस में अ़स्ल नक़्शा भी मज़ारे पुर अनवर सैय्यिदुश्शुहदा सैय्यिदुना इमाम हुसैन रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का नहीं होता उस को बना कर ताज़ीम व तकरीम के साथ मुतबर्रक जान कर रखना सहीह व दुरुस्त नहीं। चूँकि इस में भी इज़ाअ़ते माल और इसराफ़ व फ़ूज़ुल खर्ची पाई जाती है और ग़ैर मुतबर्रक चीज़ को मुतबर्रक एतिक़ाद करना पाया जाता है। रहा फ़ातिहा व दुरूद तो इस के लिये ताज़िया का होना ज़रूरी नहीं और सहीह ताज़िया के साथ हो तो भी कोई हर्ज नहीं।

(हबीबुल फ़तावा, जिल्द 4, पेज 65, मज्मुआ फ़तावा अहले सुन्नत एप)

इस से ये बातें साबित हुईं :

(1) इमाम हुसैन रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के रोज़ा -ए- पाक का अ़स्ल नक़्शा बना कर घर में रखा जा सकता है जैसे मक्का -ए- मुकर्रमा और मदीना -ए- मुनव्वरा की तस्वीर वग़ैरह रखी जाती है।

(2) ये करबला जो लोगों ने बना रखी है, फ़र्ज़ी है।

(3) किसी ग़ैर मुतबर्रक चीज़ को मुतबर्रक जान कर उस की ताज़ीम करना दुरुस्त नहीं है।

हवाला नम्बर 9

फ़क़ीहे मिल्लत, अ़ल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह से सवाल किया गया कि :

(सवाल) हमारे क़ुर्बो जवार में बल्कि हर गाँव में एक जगह मलंग की होती है जहाँ लोग रोट और लंगोट पर फ़ातिहा पढ़ते हैं जिस की तफ़्सील यूँ है : लोग अपने हाथों से एक क़ब्र बनाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ मलंग बाबा रहते थे लेकिन किसी ने पुश्त दर पुश्त से मलंग बाबा को नहीं देखा है सिर्फ लोग सुनी हुई बातों पर यक़ीन कर के वहाँ रोट लंगोट पर फ़ातिहा दिलाते हैं और नज़्रें और

मन्नतें मानते हैं तो क्या उस गुमनाम मलंग के नाम फ़ातिहा जाइज़ हो सकती है जब कि किसी से ये बात पाए सुबूत तक नहीं पहुँच सकी है। ये कोई नहीं बतला सकता कि हाँ ये वाक़ेई मलंग की क़ब्र है तो क्या ऐसी सूरत में मस्नूई क़ब्र पर नज़्रो नियाज़ जाइज़ हो सकती है? इस का आप फैसला फ़रमा दीजिये। अल्लाह तआ़ला आप को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अ़ता फ़रमाए। (आमीन)

आप रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह जवाब में लिखते हैं कि :

मस्नूई क़ब्र की ज़ियारत हराम है और हदीस शरीफ़ में इस पर लानत आई है। फ़तावा अज़ीजिया में है :

لعن اللہ من زار بلا مزار

लिहाज़ा मलंग की मस्नूई क़ब्र की ज़ियारत करना और वहाँ रोट व लंगोट चढाना सख्त नाजाइज़ और हराम है। मुसलमानों को ऐसी खुराफ़ात बातों से बचना लाज़िम है अगर नहीं बचेंगे तो सख़्त गुनाहगार मुश्तहिक़े अज़ाबे नार होंगे।

ھٰذا ما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالٰی ورسولہ الاعلی جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔

(देखें फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, जिल्द 2, पेज 468)

हवाला नम्बर 10

एक दूसरा सवाल फ़क़ीहे मिल्लत, अ़ल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह से किया गया कि: क्या फ़रमाते हैं उलमा -ए- दीन वा मुफ़्तियाने शरअ़ मतीन इस मसअला में कि एक पीर साहब ने एक बुज़ुर्ग के मज़ार के कुछ तबर्रुकात ला कर उन्हें दफ़न कर के एक मज़ार बनवाया और हर माह की पहली जुमेरात को वहाँ क़व्वाली बड़े एहतिमाम से कराते हैं

तो दरयाफ़्त तलब ये अम्र है कि फ़र्ज़ी क़ब्र बनाना उस की ज़ियारत करना और क़व्वाली करना शरअ़न कैसा है? क्या पीर साहब पर भी अफ़आ़ल वा किरदार में हुक्मे शरअ़ नाफ़िज़ होगा?

आप रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह जवाब में तहरीर फ़रमाते हैं कि : फ़र्ज़ी क़ब्र बनाना जाइज़ नहीं और उस की ज़ियारत करने वालों पर खुदा -ए- तआ़ला की लानत है। फ़तावा अ़ज़ीज़िया जिल्द अव्वल पेज 133 पर है :

درکتاب السراج بروایت خطیب آوردہ:لعن اللہ من زار بلا مزار

और खाली क़व्वाली जाइज़ है मज़ामीर हराम है। हज़रत सुल्तानुल मशाइ़ख़ महबूबे इलाही रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह फ़वाइदुल फ़वाइद शरीफ़ में फ़रमाते हैं: مزامیر حرام است۔

और हज़रत मखदूम शरफ़े मिल्लत वालिदैन यह्या मुनीरी कुद्दिसा सिर्रुहुल अ़ज़ीज़ ने मज़ामीर को ज़िना के साथ शुमार किया है। (अहकाम शरीअ़त)

पीर हो या ग़ैर पीर हर आ़किल बालिग़ मुसलमान को हुक्मे शरअ़ पर अ़मल करना वाजिब है। वल्लाहु तआ़ला आ़लाम

(देखें : फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, जिल्द 2, पेज 520)

हवाला नम्बर 11

एक और सवाल फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल में फ़र्ज़ी क़ब्रों के मुतल्लिक़ कुछ यूँ है कि :

ज़ैद व बकर सौमो सलात के पाबन्द नहीं उन की ज़ाहिरी सूरत सूफ़ियो जैसी है उन्होंने अपने को सूफ़ी क़रार देते हुए चंद मुसलमानों को इस बात पर आमादा किया कि तुम्हारे मौज़े में एक बुज़ुर्ग फ़ुलाँ जगह मदफ़ून हैं ये उन बुज़ुर्ग को हज़रत सालार मसऊ़द अलैहिर्रहमा का क़रीब बताते हैं और लोगों को उर्स करने पर उक्साया, लोग आमादा हो गए और वहां मस्नूई क़ब्र भी तैय्यार करा

दी है तो अब दरयाफ़्त तलब अम्र ये है कि आया उस क़ब्र की ज़ियारत करना वा उर्स करना जाइज़ है या नहीं?

इस सवाल के चंद जवाबात और अकाबिर उ़लमा की तस्दीक़ात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ :

जवाब नम्बर (1) : सूरते मसऊला में चूँकि ज़ैद व बकर नमाज़ व रोज़ा के तारिक़ होने के बाइस फ़ासिक़े मोअ़लिन हैं लिहाज़ा इन फ़ासिक़ों की खबर की बुनियाद पर उस क़ब्र पर उर्स करना और उस की ज़ियारत करना सख़्त नाजाइज़ व हराम है।

कतबहू: बदरुद्दीन अहमद रज़वी, यकुम ज़िल क़ादा 1385 हिजरी

जवाब नम्बर (2): मसनूई क़ब्र की ज़ियारत हराम है और हदीस शरीफ़ में लानत आई है, फ़तावा अ़ज़ीज़िया में है :

لعن اللہ من زار بلا مزار

जो बुज़ुर्ग की क़ब्र होने का मुद्दई हो वो दलीले शरई से साबित करे बिला दलील शरई क़ब्र बताना भी नाजाइज़ वा गुनाह है।

कतबहू : क़ाज़ी अब्दुर्रहीम, बरेली शरीफ़

जवाब नम्बर (3) : सहीहुल जवाब बेशक जब तक सबूते सही ेहे शरई से किसी बुज़ुर्ग का मज़ार होना साबित ना हो जाए वहाँ महज़ ख़याल क़ाइम करने और ग़ैर मुअ़तमिद लोगों के कहने से ये जाइज़ ना होगा कि वहाँ बुज़ुर्ग का मज़ार मान लें ख़ुसूसन फ़ासिक़ का बयाने हाल :

قال اللہ تعالیٰ: اِنۡ جَآءَکُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوۡۤا

बुज़ुर्ग का मज़ार होना तो बुज़ुर्ग का मज़ार है वहाँ उर्स करना और चढ़ावा चढ़ाना

कि वहाँ मुस्लिम की क़ब्र है जब तक साबित और ना हो जाए वहाँ जाना नीज़ समझना और वहाँ पढ़ना इस की भी इजाज़त ना होगी। वल्लाहु आलम फ़क़ीर मुस्तफ़ा रज़ा खान गुफ़िरा लहू

अल जवाबे सहीह : मुहम्मद शरीफ़ुल हक़ अमजदी अल जवाबुससहीह : जलालुद्दीन अहमद अमजदी

(देखें : फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जिल्द 2, पेज 582)

हवाला नम्बर 12

हुज़ूर ताजुश्शरिया, अ़ल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तअ़ाला अ़लैह से सवाल किया गया कि :

जो लोग फ़र्ज़ी मज़ारों को अ़स्ली समझ कर वहाँ जाएँ, फेरे (चक्कर) खाएँ, मन्नतें, मुराद मानें और कहें कि मन्नतें मानना इस्लाम के क़वानीन से साबित है। उन से कहा जाता है कि औलिया से मन्नत व इस्तिमदाद जाइज़ है और ये तो तेरा ग़ैर इस्लामी अ़मल है तो कहते हैं कि हमारा अ़मल हमारे साथ है तुम्हारा अ़मल तुम्हारे साथ, ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम का क्या फैसला है?

आप रहमतुल्लाहि तअ़ाला अ़लैह जवाब में लिखते हैं कि :

शख़्से मज़कूर जिस ने फ़र्ज़ी मज़ार बनाए सख़्त गुनाहगार मुस्तजीबे नार है। उस पर लाज़िम है कि फ़ौरन तौबा करे और उस मज़ार को दहा दे और इस के लिये जो चंदा उस ने किया उसे उस के मालिकान को वापस करे और लोगों पर फ़र्ज़ है कि उस फ़र्ज़ी मज़ार से दूर रहें कि उस की ज़ियारत करना हराम, बद काम, लानत अन्जाम, सरकारे मदीना, ताजदारे कौनैन ﷺ का फ़रमाने बर हक़ है :

"لعن اللہ من زار بلا مزار"

अल्लाह की लानत है उस पर जो बिला मज़ार ज़ियारत करे।

(फ़तावा अ़ज़ीजिया, बहवाला किताब उल सिराज, ब रिवायते खतीब, जिल्द 1, पेज 249, मतबा मजीदि, कानपुर)

और वहाँ मन्नतें, मुरादें माँगना सख़्त हिमाक़त, शदीद जहालत और नाजाइज़ व गुनाह है।

(फ़तावा ताजुश्शरिया, जिल्द 1, पेज 388, मज्मुआ फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)

हवाला नंबर 13

हुज़ूर ताजुश्शरिय्या रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह से एक और सवाल किया गया कि :

क्या फ़रमाते हैं उलमा- ए- दीन व मुफ़्तियाने शरअ़ मतीन इस मसअले के बारे में कि : किसी वली अल्लाह की ग़ाईबाना तुर्बत बना कर उस पर उर्स अ़स्ली मज़ार की तरह करना कहाँ तक जाइज़ है ? जब कि शहरे जोधपुर से अहमदाबाद कोसों दूर है। अहमदाबाद के क़रीब में मीरा दाता साहब का अ़स्ल मज़ार शरीफ़ है उस की नक़्ल शहरे जोधपुर में तैयार करके उस पर अ़स्ल की तरह हाज़िरी दी जा रही है क्या शरीअ़त इसकी इजाज़त देती है या मुसलमनाने जोधपुर को कारकुनान नक़्ली मज़ार बनाकर गुमराह कर रहे हैं ? आप मुंदरिजा बाला सवाल की तफ़्सील शरीअ़त की रौशनी में दें ताकि हमारे सवाल और आपके फ़तवे को शाएअ़ करके मुसलमनाने जोधपुर को इस गुमराह कुन अ़क़ीदे से बचा कर इस्लाम के सह़ीह़ मसअले से रोशनास करा कर उनके दिल मुनव्वर करें।

आप रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह जवाब में लिखते हैं हदीस में है :

"لعن اللہ من زار بلا مزار"

अल्लाह की ला'नत है उस पर जो बिना मज़ार के ज़ियारत करे।

(फ़तावा अ़ज़ीजिया, ब ह़वाला किताबुल सिराज, बा रिवायते खतीब, जि. 1, पेज 249 मतबा मजीदी कानपुर)

और इस पर उर्स करना भी ह़राम और ऐसे जलसे में शिरकत करना गुनाह कि इयानते बर गुनाह गुनाह।

(फ़ताबा ताजुश्शरिया जिल्द 1, पेज 389 मज्मुआ फ़तावा अहले सुन्नत ऐप)

हवाला नम्बर 14

हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह से एक सवाल कुछ यूँ किया गया कि : जिला सीतामढ़ी में एक मौज़ा पंडरही है जहाँ 2 सालों से ना मालूम वली का उर्स निहायत ज़ोर से मनाया जा रहा है। हक़ीक़त ये है कि उस ना मालूम वली को सिर्फ लोगों ने अपने बाप दादाओं से सुना है देखा किसी ने नहीं। उर्स होने की बुनियाद पर वो मरजा -ए- अ़वाम व खवास है। अल्बत्ता इतना ज़रूर है कि क़रिया से बाहर एक जगह मिट्टी का बहुत ही क़दीम ढेर था इत्तिफाक़ से एक बार बारिश हो गई। ऐनी शाहिदों का बयान है कि कफ्श मुबारक बिलकुल वैसे ही और उन के जिस्म का कफ़न ज़ाहिर था। और उन का दस्त मुबारक सीने पर दस्त बस्ता था और रात के चलने वालों की रहनुमाई भी करते थे तो लोगों को शक हो गया कि वो शख़्सियत यही है जिस का नाम कुर्बान अ़ली था। और उन के मज़ार के इर्द गिर्द मुश्रिकीन की लाशों को जलाया जाता है। लोगों का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि बग़ैर तारीख़ के चादर पोशी की जाती है, इस का क्या हुकम है? मुदल्लल मुफ़स्सल शरीअ़तन जवाब इनायत फ़रमायें।

आप अ़लैहिर्रहमा जवाब में लिखते हैं कि : अगर वाक़िया ये है कि उस जगह कोई क़ब्र है जिस में किसी वली का दफ़न होना (कम अज़ कम) मज़नून है तो वहाँ चादर चढ़ाना जाइज़ है। और अगर महज़ शक है जिस की कोई वजह सिवाए वहम के नहीं तो उस की ज़ियारत से सख़्त परहेज़ ज़रूरी है। (तो ना उस

की ज़ियारत को जाएँ ना उर्स फ़ातिहा करें)
(फ़तावा ताजुश्शरिया, जिल्द 1, पेज 470)

हवाला नम्बर 15

एक सवाल और हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह तआ़ला अ़लैह से किया गया कि : फ़र्ज़ी क़ब्र बनाना जाइज़ है या नहीं? और फ़र्ज़ी क़ब्र जो बन चुकी है और बाक़ी फ़र्ज़ी क़ब्र के लिए शरीअ़त का क्या हुक्म है?

आप रहमतुल्लाह तआ़ला अलैह जवाब में लिखते हैं कि फ़र्ज़ी क़ब्र बनाना हराम और उसे बाक़ी रखना गुनाह दर गुनाह और बानी गुनाहगार।

वल्लाहु तआ़ला आलम
(फ़तावा ताजुश्शरिया, जिल्द 4, पेज 520)

हवाला नम्बर 16

फ़र्ज़ी मज़ार पर फ़ातिहा :

ताज़ुल फ़ुक़हा हज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती अख्तर हुसैन क़ादरी से सुवाल किया गया कि : क्या फ़रमाते हैं उ़लमा -ए- दीन व मुफ़्तियाने शरअ़ मतीन मसअला ज़ैल में कि एक शख़्स ने ऐसी जगह मजा़र बनवाई जहाँ पहले से कोई क़ब्र या मजा़र ना था, लोगों के पूछने पर उस ने बताया कि एक बाबा ने मुझे ख़्वाब में बिशारत दी। अब वो शख़्स उस मजा़र पर फ़ातिहा पढ़ता है, चादर पोशी करता है और कई मर्तबा उस के सामने नमाज़ भी पढ़ चुका है। गाँव के कुछ लोग उस से मेल जोल रखते हैं और कुछ लोग बॉयकॉट करते हैं लिहाजा़ हुज़ूरे वाला से गुजा़रिश है कि उस शख़्स पर जो शरई़ हुक्म नाफ़िज़ होता है नीज़ उन लोगों पर जो इस से मेल जोल रखते हैं बयान फ़रमाइए।

आप जवाब में लिखते हैं कि फ़र्ज़ी मज़ार बनाना हराम है और उस पर चादर और फूल डालना, वहाँ फ़ातिहा पढ़ना सब नाजाइज़ व गुनाह है। ऐसा करने वाले और उन का साथ देने वाले सब पर तौबा वा इस्तिग़फ़ार लाज़िम है। अगर वो लोग तौबा कर लें तो ठीक वरना मुसलमान उन सब का बायकॉट कर दें। सैय्यिदी आला हज़रत इमाम अहमद रजा क़ादरी कुद्दिसा सिर्रुहू तहरीर फ़रमाते हैं "क़ब्र बिला मक़बूर की तरफ़ बुलाना और उसके लिये वो अफ़आल करना गुनाह है उस जलसा -ए- ज़ियारते क़ब्र बिला मक़बूर में शिरकत जाइज़ नहीं इस मुआमले में जो खुश हैं वो मुमिद्दो मुआविन हैं सब गुनाहगार फ़ासिक़ हैं।

قال اللہ تعالی: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان

(फ़तावा अलीमिया, जिल्द 1, पेज 362)

हवाला नम्बर 17

फ़र्ज़ी मज़ार बनाना कैसा है?

अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर हुसैन क़ादरी से एक और सुवाल किया गया कि :

क्या फ़रमाते हैं उलमा -ए- हिंद और मुफ़्तियाने शरअ मतीन मसअला ज़ेल में कि चंद लोगों ने एक जगह मस्नूई करबला मजार बनाया है और वहाँ उर्स वग़ैरह भी करते हैं, इस का हक़ीक़त से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है और वो लोग इस मज़ार के पैसे से नाच और फ़िज़ूल रस्म करवाते हैं ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? जो ये तमाम उमूर अंजाम देते हैं, नीज़ जो लोग ये जानते हुए चंदा देते हैं कि ये मज़ार बनवाई है और ये भी जानते हैं कि ये लोग इस पैसे से नाजाइज़ रुसूम अदा करते हैं तो चंदा देने वालों के बारे में क्या हुक्म है? नीज़ जो लोग इस मज़ार पर बा निय्यते सवाब और मुरादें लेकर जाते हैं और मज़कूरा बाला मसअला जाने वालों के इल्म में हो या ना हो और अगर इन के इल्म में हो तो

क्या हुक्म है?

आप जवाब में लिखते हैं :

फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और वहाँ उर्स वग़ैरह करना नाजाइज़ वा गुनाह और बिदअते सईया है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो मुजरिम व गुनाहगार और मुस्तहिक़े नार हैं, उन पर लाज़िम है कि इन बातिल हरकतों से और नाजाइज़ कामों से फ़ौरन बाज़ आ जाएँ। अपने करतूत पर सिद्क़े दिल से नादिम हों, और तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें, अगर वो ऐसा कर लें तो ठीक है वरना मुसलमान उन का बॉयकॉट कर दें।

قال الله تعالى: وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (الانعام:68)

और जो लोग जानते हुए ऐसी जगहों पर चंदा देते हैं वो भी गुनाहगार हैं उन पर भी तौबा व इस्तिग़फ़ार लाज़िम है।

फ़तावातवा रज़विय्या में है : क़ब्र बिला मक़बूर की ज़ियारत की तरफ़ बुलाना और उस के लिये वो अफ़्आल करना गुनाह है इस जलसा -ए- ज़ियारते क़ब्र बे मक़बूर में शिरकत जाइज़ नहीं। इस मुआमले में जो खुश हैं ख़ुसूसन वो जो मुमिद्दो मुआविन हैं सब गुनाहगार वा फ़ासिक़ हैं।

قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

बल्कि जो बा वस्फ़े क़ुदरत साकित है :

قال الله تعالى: كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

जो बुरी बात करते आपस में एक दूसरे को ना रोकते ज़रूर बहुत ही बुरे काम करते थे।

और जो लोग अदमे इल्म की बिना पर ऐसी फ़र्ज़ी मज़ार पर चले जाएँ तो उन

पर इल्ज़ाम नहीं मगर बादे इल्म तौबा करें।

واللہ تعالی اعلم

(फ़तावा अ़लीमिया, जिल्द 1, पेज 365)

हवाला नम्बर 18

अ़ल्लामा मुफ़्ती प्रोफेसर मुनीबुर रहमान साहब लिखते हैं के :

झूटी क़ब्र बना कर उस की ताज़ीम करना नाजाइज़ है, इमाम अ़हमद रज़ा क़ादरी कुद्दिसा सिर्रुहु से सुवाल हुआ कि किसी वली अल्लाह का मज़ार शरीफ़ फ़र्ज़ी बनाना और उस पर चादर वग़ैरह चढ़ाना और उस पर फ़ातिहा पढ़ना और अ़स्ल मज़ार का सा अदबो लिहाज़ करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब में लिखते हैं : फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उस के साथ अ़स्ल का सा मुआ़मला करना नाजाइज़ वा बिदअ़त है, मज़ीद सुवाल हुआ कि ज़ैद ने एक क़ब्र फ़र्ज़ी और मस्नूई, जिस का पहले से कोई वुजूद ना था, बनवा कर ये बात मशहूर की कि इस क़ब्र में अमरोहा के ज़ैनुल आ़बिदीन तशरीफ़ लाये हैं, मुझ को ख़्वाब में बिशारत हुई है, ऐसी रिवायते काज़िबा से उस क़ब्र की अज़मत लोगों के सामने बयान कर के क़ब्र परस्ती की तरफ़ बुलाने लगा हत्ता कि उस में उस को कामयाबी होने लगी और बहुत सी मख़लूक़ उस की तरह मुतवज्जे हो गई। इस क़ब्र पर चादर में और मुर्ग और बकरी और मिठाइयाँ, रूपया और पैसे चढ़ाने लगे और अपनी मुराद और मन्नतें उस क़ब्र में माँगने लगे और ज़ैद उस आमदानी से मुतमत्तेअ़ होता है, ऐसे शख़्स के वास्ते शरीअ़त क्या हुक्म लगाती है?

आप ने जवाब दिया : क़ब्र बिला मक़बूर (यानी जिस में कोई दफ़न ना हो) की तरफ़ बुलाना और उस के लिये वो अफ़आ़ल कराना गुनाह है, और जब

कि वो इस पर मुसिर है और बा ऐलान इसे कर रहा है तो फ़ासिक़े मोअ़लिन है और फ़ासिक़े मो अ़लिन को इमाम बनाना गुनाह और फेरनी वाजिब इस जलसा -ए- ज़ियारते क़ब्र बे मक़बूर में शिरकत जाइज़ नहीं। ज़ैद के इस मुआ़मले से जो खुश हैं ख़ुसूसन वो जो मुमिद्दो मुआ़विन हैं, सब गुनाहगार व फ़ासिक़ हैं।

قال اللہ تعالی: ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان

बल्कि जो बा वस्फ़े क़ुदरत साकित है :

قال اللہ تعالی: كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

जो बुरी बात करते आपस में एक दूसरे को ना रोकते ज़रूर बहुत ही बुरे काम करते हैं।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 9, पेज 425-426-427)
(तफ़हीमुल मसाइल, जिल्द 4, पेज 158)

हवाला नम्बर 19

मुफ़्ती अ़तीकुल्लाह सिद्दीकी फ़ैज़ यार अ़लवी लिखते हैं :

फ़र्ज़ी क़ब्र बना कर फ़ातिहा पढ़ना, चादर चढ़ाना, उस को मज़ार कहना ये सब खुली गुमराही है और ऐसा करना हरगिज़ जाइज़ नहीं।

आज कल ऐसा काफ़ी हो रहा है कि पहले वहाँ कुछ नहीं था अब बग़ैर किसी मुर्दे को दफ़न किये क़ब्र व मज़ार बना दिया गया और पूछो तो कहते हैं कि ख़्वाब में बिशारत हुई है, फ़ुलाँ बाबा ने ख़्वाब में आकर बताया कि यहाँ हम दफ़न हुए हैं हमारा मज़ार बनाओ। सहीह बात ये है कि इस तरह क़ब्र वा मज़ार बनाना, उन पर हाज़िरी देना, फ़ातिहा पढ़ना, उर्स करना और चादर चढ़ाना सब हराम है। मुसलमानों को धोका देना और इस्लाम को बदनाम करना है। और ख़्वाब में मज़ार बनाने की बिशारत इंदस शरअ़ कोई चीज़ नहीं और

जिन लोगों ने ऐसे मज़ारात बना लिये हैं उन को उखाड़ देना और नामो निशान ख़त्म कर देना बहुत ज़रूरी है। बाज़ जगह देखा गया है कि किसी बुज़ुर्ग की छड़ी इमामा वग़ैरह कोई इस से मनसूब चीज़ दफ़न कर के मज़ार बनाते हैं और कहीं किसी बुज़ुर्ग के मज़ार की मिट्टी दूसरी जगह ले जा कर दफ़न कर के मज़ार बनाते हैं ये सब नाजाइज़ वा गुनाह है।

(ग़लत फ़हमिया और उन की इस्लाह, अ़ल्लामा ततहीर अहमद रज़वी, पेज 59)

फ़र्ज़ी क़ब्र बनाना नाजाइज़ व गुनाह है और उसे मज़ारे वली की हैसियत देना और ज़्यादा गुनाह और उस के साथ अ़स्ली का सा मुआ़मला करना मस्लन ज़ियारत करना, फ़ातिहा ख़्वानी और उर्स करना, गुंबद बनाना, फ़िर इन तमाम वाहियात व ख़ुराफ़ात को किसी सहाबी या वली की तरफ मनसूब करना और उस मस्नूई क़ब्र का नाम मौला अ़ली मुश्किल कुशा, महबूबे सुब्हानी या ग़रीब नवाज़ का चिल्ला रखना सब का सब गुनाह है इस का क़ाइल और तमाम लोग जो मज़कूरा खुराफ़ात व बिदअ़ात को करते हैं, वो गुनाहगार मुस्तहिक़े अजा़बे नार और मुस्तौजिबे ग़ज़बे जब्बार हैं। और फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में है कि फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उस के साथ अ़स्ल का सा मुआ़मला करना नाजाइज़ व बिदअ़त है।

(पेज नम्बर 115, जिल्द 4)

और इस फ़र्ज़ी मज़ार की तामीर के लिये चंदा देना और लेना और माँगना सब नाजाइज़ है। क्योंकि इस में गुनाह पर इयादत है। अल्लाह तआ़ला जल्ला शानुहू इरशाद फ़रमाता है :

ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان۔ (پارہ نمبر 6، سورہ مائدہ آیت نمبر 2)

आज कल हिंदुस्तान में ये रिवाज जारी है कि नीम के दरख़्त को ग़ौसे पाक रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की निशानी क़रार देते हैं या फ़र्ज़ी मज़ार बना लेते

हैं फिर उस पर फ़ातिहा पढ़ते हैं और फूल डालते हैं और उस की ज़ियारत को जाते हैं उर्स माने हैं और नाच गाने मज़ामीर के साथ ग़ौसे पाक रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नाम पर संदल निकालते हैं और उस में मर्द व औरत का मख़लूत हो कर एक साथ गश्त करना ये सारे काम हराम व गुनाह हैं।

(फ़तावा मरकज़ तरबियत इफ़्ता, जिल्द अव्वल, पेज नंबर 390)

इसी तरह एक सुवाल के जवाब में हुज़ूर बदरे मिल्लत अ़लैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि फ़र्ज़ी क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाना नाजाइज़ व हराम और गुनाह है, हदीस शरीफ़ में लानत आई है। (फ़तावा बदरुल उ़लमा, 306)

फ़तावा मुशाहिदी में है कि :

फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और बग़ैर मज़ार के ज़ियारत करना नाजाइज़ वा हराम है इस पर चादर चढ़ाना और वहाँ पर उर्स मनाना या मन्नत मांगना जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा मुशाहिदी, पेज नंबर 103)

नाइबे मुफ़्ती -ए- आज़मे हिंद, हुज़ूर मुफ़्ती शरीफ़ुल हक़ अमजदी साहब क़िब्ला अलैहिर्रहमतु रिदवान इरशाद फ़रमाते हैं जब तक सुबूते सहीहे शरई से किसी बुज़ुर्ग का मज़ार होना साबित ना हो जाए वहाँ महज़ ख़्याल क़ाइम करने और उर्स करना, चढ़ाना या मन्नत माँगना ये सब नाजाइज़ व गुनाह है। क़ाज़ी उल क़ुज़ात फ़िल हिंद हुज़ूर अ़ल्लामा मुफ्ती क़ाज़ी अ़ब्दुर रहीम अ़लैहिर्रहमा बरेली शरीफ़ इरशाद फ़रमाते हैं कि मस्नूई फ़र्ज़ी क़ब्र की ज़ियारत हराम है और हदीस शरीफ़ में लानत आई है। फ़तावा अ़ज़ीज़िया, जिल्द अव्वल पेज 144 पर है :

در تاب السراج بروایۃ حطیب وردہ لعن اللہ من ار بلا مزار

जो बुज़ुर्ग की क़ब्र होने का मुद्दई हो वो दलीले शरई से साबित करे बिला

दलीले शरई क़ब्र बनाना नाजाइज़ व गुनाह है।

फ़कीहे मिल्लत हुज़ूर मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्रहमतु रिदवान ने भी इसे नाजाइज़ व हराम लिखा है।(तफ़सीली इबारत ऊपर गुज़र चुकी)

आला हज़रत ने एक और सवाल के जवाब में इस की मज़म्मत की है। (ये इबारत भी हम नक़्ल कर आए)

और जो हज़रात अपने को सुन्नी बरेलवी कहते हैं और जाली मज़ारों के चंदे करते और कराते हैं और बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं उलमा -ए- किराम व शुअरा -ए- उज़्ज़ाम को बुलाते हैं उन सब से मोदिबाना मुख्लिसाना अरीज़ाना गुज़ारिश है के इन सब तमाम खुराफ़ात वा बिदआत से परहेज़ करें और फ़र्ज़ी क़ब्र के पास जाने से भी परहेज़ करें क्योंकि शरीअत का हुक्म है कि फ़र्ज़ी मज़ारों के पास जाना नाजाइज़ वा हराम है।

कतबहू : अल अबद मुहम्मद अतीकुल्लाह सिद्दीकी फैज़ यार अलवी अफी अन्हु (दारुल उलूम अहले सुन्नत मुहिय्युल इस्लाम)

(देखिये मसाइले शरिया वेबसाइट, सवाल नंबर 521)

हवाला नम्बर 20

अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद जाफ़र अली सिद्दीकी रज़वी क़िब्ला मद्दाज़िल्लहुल आली लिखते हैं कि :

आज कल कुछ ना आक़िबत अंदेशो बिला मेहनत व मशक़्क़त कमाई का ज़रिया बनाने वालों की कमी नहीं रह गई।

जब कि बिला मज़ार के मज़ार बनाना नाजाइज़ व हराम है और बनाने वाले पर अल्लाह तआला की लानत है।

सरकार आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान

बरेलवी रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने इसे नाजाइज़ और बिदअ़त लिखा है। (इबारत हम नक़्ल कर चुके)

ताज्जुब है.....!!! शहीदे आज़म इमाम आली मक़ाम रदिअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने नाना जान हुज़ूर ﷺ की शरीअ़त की हिफ़ाज़त के लिये अपने अज़ीज़ो अका़रिब और खुद अपनी जान राहे मौला में क़ुरबानी दे दी और यहाँ इस औरत के ख़्वाब में आकर अपना मज़ार बनवाने की फ़रमाइश फ़रमा रहे हैं। अल अयाज़ु बिल्लाह .....!!! (सुवाल में एक औरत का ज़िक्र था जिस का कहना था कि इमाम हुसैन ने ख़्वाब में आकर मज़ार बनाने को कहा)

और फ़तावा बदरुल उ़लमा, पेज 306 पर भी इसे फ़तावा अ़ज़ीज़िया के ह़वाले से नाजाइज़ लिखा गया है।

कतबहू: ह़ज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती मुह़म्मद जाफ़र अ़ली सिद्दीक़ी रज़वी साहब क़िब्ला मद्दाज़िल्लहुल अ़ाली महाराष्ट्र

अल जवाबे सहीह : ह़ज़रत अ़ल्लामा जाबिरुल का़दरी साह़ब क़िब्ला

अल जवाबे सहीह : ह़ज़रत अ़ल्लामा मुह़म्मद अमजद अ़ली का़दरी नई़मी साह़ब क़िब्ला

(देखें मेरी इस्लामी मालूमात वेबसाइट, दारुल फ़तावा)

इस मसअले पर मज़कूरा बीस हवाले हम ने यहाँ नक़्ल करने का शरफ हासिल किया। अ़स्ल में ये बीस नहीं बल्कि ज़िमनन जो हवाले आये हैं उन समेत और ज़्यादा हैं। इस पूरी तफ़सील से ये मसअला बिल्कुल वाज़ेह़ हो जाता है कि फ़र्ज़ी क़ब्रें बनाना नाजाइज़ व हराम है। इस पर उ़लमा -ए- अहले सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ है। फ़र्ज़ी क़ब्रें बना कर उस को मुतबर्रक जानना और उस के साथ अ़स्ल वाले मुआ़मलात करना भी किसी तरह जाइज़ नहीं। अवामे अहले सुन्नत से गुज़ारिश है कि ऐसी चीजों से लाज़िमी तौर पर खुद को दूर रखें। अगर आप

वाक़ई एक सुन्नी होने का हक़ अदा करना चाहते हैं तो एक काम ये भी करें कि उ़लमा -ए- अहले सुन्नत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जिस काम से बचने का हुक्म इरशाद फ़रमाया है, उससे परहेज़ करें।

अल्लाह तआ़ला हमारी बातों को अहले सुन्नत के लिये नफ़ा बख़्श बनाए और हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में मक़बूलियत का दरजा अ़ता फ़रमाए। आमीन।

हिंदी में हमारी दूसरी किताबें

(1) बहारे तहरीर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इल्मी तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता जिसके अब तक 14 हिस्से रिलीज़ हो चुके हैं, हर हिस्से में 25 तहरीरें हैं जो मुख्तलफ़ मौज़ूआत (टॉपिक्स) पर हैं।

(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में कई हवालों से साबित किया गया है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह मियाँ कहना जाइज़ नहीं है।

(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में एक वाक़िए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में हज़रते बिलाल के अज़ान ना देने पर सूरज ना निकलने का ज़िक्र है।

(4) इश्क़े मजाज़ी (मुंतख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में कई अहबाब के मज़ामीन शामिल किये गए हैं जो इश्के मजाज़ी के ताल्लुक़ से हैं, इश्के मजाज़ी के मुख़्तलफ़ पहलुओं पर ये एक हसीन संगम है।

(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस मुख़्तसर से रिसाले में गाने बजाने की मज़म्मत पर कलाम किया गया है और गानों के कुफ़्रिया अशआर बयान किये गए हैं जिसे पढ़ कर कई लोगों ने गाने बजाने से तौबा की है।

(6) शबे मेराज गौसे पाक - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में एक मशहूर वाक़िए की तहक़ीक़ बयान की गई है जिस में हज़रते ग़ौसे आज़म का शबे मेराज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मिलने का ज़िक्र है।

(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में एक वाक़िए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में मेराज की शब हुज़ूर नबी -ए- करीम अलैहिस्सलाम का नालैन पहन कर अर्श पर जाने का ज़िक्र है।

(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक़िया - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में हज़रते ओवैस क़रनी के अपने दंदान शहीद कर देने वाले वाक़िए की तहक़ीक़ बयान की गई है और साथ ये भी कि अल्लाह के आख़िरी रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हुए थे या नहीं और हुए तो उसकी कैफ़ियत क्या थी और कई तहक़ीक़ी निकात शामिले बयान हैं।

(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला मज्मुआ है उन फ़तावा का जो हज़रते अल्लामा मुफ़्ती वक़ारुद्दीन क़ादरी अलैहिर्रहमा ने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के लिये लिखे हैं, ये फ़तावा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की गुमराही को बयान करते हैं।

(10) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु) का इस्तिमाल किया जा सकता है।

(11) चंद वाक़ियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

वाक़ियाते कर्बला के हवाले से अहले सुन्नत में बेशुमार वाक़ियात ऐसे आ गए हैं, जो शिओं की पैदावार हैं, इस रिसाले में हमने चंद वाक़ियात की तहक़ीक़ पेश की है जो कि अपनी नोइयत का मुन्फ़रिद काम है, इस तहक़ीक़ी रिसाले में कई इल्मी निकात मरक़ूम हैं।

(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) कनीज़े अख़्तर

औरत की ज़िंदगी में पैदाइश से ले कर निकाह और फिर बादहू के मामलात की इस्लाह के लिये इस रिसाले को एक अलग अंदाज़ में लिखा गया है।

(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस्लाम में जिंसी ताल्लुक़ात और इस हवाले से जदीद मसाइल पर ये रिसाला बड़े ही आम फ़हम अंदाज़ में लिखा गया है और आसान होने के साथ-साथ ये रिसाला दलाइल से मुज़य्यन भी है।

(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए पर तहक़ीक़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ मशहूर वाक़ियात की तहक़ीक़ पर ये रिसाला लिखा गया है, कई हवालों से अस्ल रिवायत और उनकी कैफ़ियत को अम्बिया की अज़मत को मद्दे नज़र रखते हुए बयान किया गया है।

(15) औरत का जनाज़ा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा

औरत के जनाज़े को कौन कौन देख सकता है? क्या शौहर काँधा नहीं दे सकता? और ऐसे कई सवालात के जवाब आपको इस रिसाले में मिलेंगे।

(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

एक आशिक़ की बड़ी दिलचस्प कहानी है जिस में मज़ाह है, तफ़रीह है, सबक़ है और इबरत है। इस वाक़िए को अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब "ज़म्मुल हवा" से लिया गया है।

(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस किताब में नमाज़ पढ़ने और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को जमा करने की कोशिश की गई है, इस्तिलाहात को आसान अंदाज़ में बयान किया गया है, इस के अगले हिस्सों पर भी काम जारी है।

(18) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में इस बात की तफ़्सील बयान की गई है कि क़ियामत के दिन लोगों को माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा या बाप के नाम से।

(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही

शिर्क के मौज़ू पे एक बेहतरीन किताब है जिस में शिर्क का असल मफ़हूम बयान किया गया है।

(20) इस्लामी तअ़लीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह

ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है।

(21) मुहर्रम में निकाह - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में बयान किया गया है कि माहे मुहर्रम में भी निकाह जाइज़ है और इसे नाजाइज़ कहना बिल्कुल गलत है, मुहर्रम में ग़म मनाना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं और चाहे घर बनाना हो या मछली, अंडा और गोश्त वग़ैरह खाना सब मुहर्रम में जाइज़ है।

(22) रिवायतों की तहक़ीक़ (पहला हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला अहले सुन्नत में मशहूर रिवायतों की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, इस में रिवायतों की तहक़ीक़ बयान की गई है, सहीह रिवायतों की सिह्हत पर और बातिल रिवायतों के मौज़ू व बेअस्ल होने पर दलाइल पेश किये गये हैं, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है।

(23) रिवायतों की तहक़ीक़ (दूसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का दूसरा हिस्सा है, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है।

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला उन नौजवानों के लिये लिखा गया है जो इश्के मजाज़ी में धोखा खा कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखने के लिये राह तलाश कर रहे हैं।

(25) एक निकाह ऐसा भी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये एक सच्ची कहानी है, एक निकाह की कहानी, इस में जहाँ इस्लामी तरीके से निकाह को बयान किया है वहीं इस पर अमल की कोशिश भी की गई है।

है तो ये एक कहानी पर इस में आप तहक़ीक़ी निकात भी मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे।

(26) काफ़िर से सूद - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे कि एक काफ़िर और मुसलमान के दरमियान सूद की क्या सूरतें हैं? और साथ ही लोन, बैंक और पोस्ट इंटरेस्ट पर उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ भी शामिले रिसाला है।

(27) मैं खान तू अंसारी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस्लाम में क़ौम, ज़ात और बिरादरी वग़ैरह की अस्ल पर ये एक तहक़ीक़ी किताब है, इस में मसवात को क़ाइम करने की तरग़ीब दिलाई गई है, कुफ़ू के मसअले पर तहक़ीक़ी मवाद भी शामिले किताब है।

(28) रिवायतों की तहक़ीक़ (तीसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का तीसरा हिस्सा है, इस के 2 हिस्सों का ज़िक्र हम कर आये हैं, इसके चौथे हिस्से पर काम जारी है।

(29) जुर्माना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला माली जुर्माने के मुताल्लिक़ लिखा गया है, माली जुर्माना फ़िक़्हे हनफ़ी में जाइज़ नहीं है और इसे दलाइल से साबित किया गया है।

(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला औलिया की एक खास हालत के बयान में है जिसे "सुकर" और "शत्हिय्यात" वग़ैरह से ताबीर किया जाता है। इस ताल्लुक़ से अहले सुन्नत के मुअतदिल मौक़िफ़ को दलाइल के साथ बयान किया गया है। ये रिसाला उनके लिये दावते फिक्र है जो इफ़रातो तफ़रीत के शिकार हैं।

(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

ये रिसाला औरतों के मख़सूस मसाइल पर मुश्तमिल है।

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये मुख़्तसर सी तहक़ीक़ इस बयान में है कि क्या रमज़ान के आखिरी जुम्आ में किसी नमाज़ के पढ़ने से सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? इस तरह की रिवायतों की क्या अस्ल है?

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

इस रिसाले में शफ़ाअते मुस्तफ़ा के हवाले से 40 हदीसें लिखी गई हैं।

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

ये किताब इस बात की तहक़ीक़ पर है कि बीमारी उड़ कर लग सकती है या नहीं यानी किसी एक को हुआ मर्ज़ किसी दूसरे में मुंतक़िल हो सकता है या नहीं।

(35) ज़न और यक़ीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी

ये रिसाला ज़न और यक़ीन के अहकाम पर लिखा गया है, इल्मे फ़िक़्ह पढ़ने वालों के लिये इस में कई इल्मी निकात हैं जिनसे वस्वसों को दूर किया जा सकता है।

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

इस किताब में साबित किया गया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ये साकिन (ठहरी हुई) है।

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

इस किताब में अबू तालिब के ईमान के मसअले पर जम्हूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश किया गया है, यही मौक़िफ़ तहक़ीक़ से साबित है कि अबू तालिब ने इस्लाम कुबूल नहीं किया था।

(38) क़ुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

इस रिसाले में क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और फ़िक़्ही मसाइल हैं जो कि बहारे शरीअत से माखूज़ हैं।

(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी

ये इस्लामी तालीम का दूसरा हिस्सा है ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है।

(40) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान

ये किताब हुज़ूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान बरेलवी के कलाम का मज्मूआ है।

(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी

ये मुख़्तसर सा रिसाला एक अहम पैग़ाम पर मुश्तमिल है कि उलमा व अवाम सबको चाहिये कि ला इल्मी का एतिराफ़ करने की आदत डालें और जहाँ इल्म न हो वहाँ तकल्लुफ़ कर के जवाब ना देते हुए कह दिया जाए कि मैं नहीं जानता।

(42) जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी

इस रिसाले में मुख़्तसर अल्फाज़ में जंगे बद्र के हालात को बयान किया गया है।

(43) तहक़ीक़े इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

ये किताब इमामते कुब्रा के बारे में है और इस बात की तहक़ीक़ बयान की गई है कि हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रते अ़ली की इमामत के बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है।

(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये एक सफ़रनामा है, हिंदुस्तान के 5 बिलाद के सफ़र के अहवाल पर मुश्तमिल है, इस के मुताले से जहाँ आप 5 बिलाद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे वहीं कई इल्मी निकात भी आप मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे।

(45) मंसूर हल्लाज - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये मुख़्तसर सा रिसाला हज़रते मंसूर हल्लाज रहीमहुल्लाहु त'आला के हालात पर है जिस में उलमा -ए-अहले सुन्नत की तहक़ीक़ को बयान किया गया है और हज़रते मंसूर हल्लाज के बारे में रखे जाने वाले नज़रियों को पेश कर के जाइज़ा लिया गया है।

(46) फ़र्ज़ी क़ब्रें - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल (ये किताब)

ये किताब 20 से ज़ाइद हवालों पर मुश्तमिल है जिस में फ़र्ज़ी कब्रों को बनाने की मज़म्मत बयान की गई है और इसके मुतल्लिक़ दुसरे कई अहकाम नक़ल किये गए हैं।

DONATE

ABDE MUSTAFA OFFICIAL

TO DONATE :

Account Details :
Airtel Payments Bank
Account No.: 9102520764
(Sabir Ansari)
IFSC Code : AIRP0000001

SCAN HERE

PhonePe G Pay paytm 9102520764

OUR DEPARTMENTS:

enikah
E NIKAH MATRIMONIAL SERVICE

SABIYA
SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

ROMAN BOOKS

PS graphics
PURE SUNNI GRAPHICS
GRAPHIC DESIGNING DEPARTMENT

ACAG MOVEMENT
TO CONNECT AHLE SUNNAT

/abdemustafaofficial
for more details WhatsApp on **+919102520764**

ABOUT US

Abde Mustafa Official is a team from **Ahle Sunnat Wa Jama'at** working since 2014 on the Aim to propagate **Quraan and Sunnah** through electronic and print media.

We are :

blogging, publishing books and pamphlets in multiple languages on various topics, running a special matrimonial service for Sunni Muslims.

Visit our official website :

www.abdemustafa.in

about thousands of articles & 245+ pamphlets and books are available in multiple languages.

E Nikah Matrimony

if you are searching a Sunni life partner then **E Nikah** is a right platform for you.

Visit **www.enikah.in**

Or join our Telegram Channel

t.me/enikah (search "E Nikah Service" in Telegram)

Follow us on Social Media Networks :

/abdemustafaofficial

For more details WhatsApp **+91 91025 20764**

info@abdemustafa.in

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

enikah E NIKAH MATRIMONY SERVICE

BOOKS ROMAN BOOKS

niiii NIKAH AGAIN SERVICE

POWERED BY:

AMO

ABDE MUSTAFA OFFICIAL